कार्यालय नगर पालिका परिषद, बालाघाट जिला—बालाघाट (म.प्र.) 481001
दूरभाष/फेक्स क्रमांक 07632—241318/247101 एवं ईमेल cmobalaghat@mpurban.gov.in

क्रमांक/स्वा./ई—निविदा/2026/ 1894 बालाघाट दिनांक 12/5/2026

—:निविदा—सूचना:—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा निम्नांकित समाग्री क्रय करने हेतु ऑनलाईन निविदाएं आईटम रेट दर पर आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुसार प्राप्त दर का निर्धारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 50, धारा 90, धारा 110 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 2018 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका प्रेसीडेंट इन कांउसिल नियम 1998 के नियम शर्तो के तहत किया जायेगा। सविंदाकार/सप्लायर्स प्रमाणित दस्तावेजों सहित एम.पी. ई टेण्डर पोर्टल (www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन निविदाएं दिनांक ....को 05:00 बजे तक समस्त जानकारी सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक .... को अपरांह 02:00 बजे खोली जायेगी। कार्य एवं सामग्री का विवरण तालिका में एवं ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उल्लेखित मापदण्डों के नुसार होगा। कार्य का विवरण निम्नानुसार है —

सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निंविदाकार की श्रेणी	कार्य अवधि
आर.सी.सी. ह्युम पाईप क्रय 1. 350 एन.पी. प्रतिनग दर 2. 450 एन.पी. प्रतिनग दर 3. 650 एन.पी. प्रतिनग दर	2.50 लाख	2500 /— रूपए मात्र।	1000/ —	आपूर्तिकर्ता	01 वर्ष

वेदा की शर्ते :—

निविदाकार को **सामग्री की संलग्न सूची** अनुसार दरे प्रस्तुत करना होगा।
निविदाकार का कार्य गुणवत्तापूर्ण प्रदाय किया जाना आवश्यक है।
निविदाकार को अपना जीवित जी.एस.टी. नम्बर, पेन नम्बर, बैंक पासबुक की कॉपी, दुकान/कम्पनी प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान/कंपनी का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, का चुकाता प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. के तहत रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. के तहत चुकता प्रमाण पत्र दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
परोक्त कार्यो हेतु प्राप्त दरों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य नगर पालिका /अध्यक्ष/प्रेसिडेंट—इन—कौंसिल नगर पालिका परिषद बालाघाट के पास सुरक्षित होगा।
काशित निविदा से संबंधित तकनीकी एवं अन्य जानकारियॉं/शर्ते म.प्र. शासन की वेबसाईट .mptenders.gov.inमें देखी जा सकती है।
निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर केवल वेबसाईट ptenders.gov.inपर देखी जा सकती है।
वेदा प्रपत्र दिनांक ..../........../2025 तक निर्धारित राशि ऑनलाईन जमा कर वेबसाईट .mptenders.gov.inपर प्राप्त किये जा सकते है।
विदाकार को निविदा में संलग्न/उल्लेखित तकनीकी मापदण्ड अनुसार सामग्री प्रदाय किया श्यक होगा। तकनीकी मापदण्ड में क्वालीफाई ना पाये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य कर पत्र (फाईनेंसियल बीड) का पत्र नहीं खोले जावेंगे।

9. निविदाकार को उपरोक्त सामग्री को निकाय द्वारा बताए गए स्थान पर स्वयं के व्यय पंहुचाया जाना
गा। इस हेतु पृथक से भूगतान नहीं किया जावेगा।

10. निविदा में प्रस्तुत दरों को स्वीकृत/निरस्त किये जाने का संपूर्ण अधिकार निविदा तकनीकी मिति/प्रेसिडेंट–इन–कौंसिल/अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट के स होंगे। जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा साथ ही किसी भी ार का वाद–विवाद न्यायलयीन प्रकरण/श्रम न्यायालयीन प्रकरण निकाय द्वारा स्वीकार नहीं किये वेंगे।

11. सशर्ते निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

12. निविदाकार को कार्य स्वीकृत होने पर शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर निर्धारित स्टाम्प क के आधार पर अनुबंध संपादित किया जाना आवश्यक होगा।

13. निविदाकार द्वारा नियमानुसार अमानत राशि की एफ.डी.आर. जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

14. निविदाकार के अनुबंध पश्चात कार्य आदेश में उल्लेखित कार्य दिवसों के भीतर कार्य/सामग्री पूर्ण य नहीं की जाती है तो इस कार्यालय द्वारा नगर पालिका अधिनियम– 1961 के लेखा नियम के तहत वाही प्रस्तावित की जाकर निविदाकार द्वारा अमानत राशि के रूप में जमा एफ.डी.आर. बिना सूचना ाजसात कर नगर पालिका निधि में जमा कर ली जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का ।

5. निविदाकार को शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों जी.एस.टी. सहित कार्य/सामग्री दरें प्रस्तुत की आवश्यक होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कर इस कार्यालय द्वारा दिया जावेगा। संपूर्ण दरें समस्त करों सहित ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

6. संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरे बाजार मूल्य के समतुल्य होने के साथ–साथ व्यवहारिक कोण से कार्य किये जाने योग्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। दरें व्यवहारिक प्रस्तुत नहीं किये की स्थिति में संविदाकार की अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तावित ावेगी।

. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में माननीय न्यायालय/मुख्य नगर पालिका ारी/प्रेसिडेंट–इन–कौंसिल/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का निर्णय सर्वमान्य होगा।

. यदि जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्य कराये जाने के संबंध में कोई नीति ई जाती है तो वह ठेकेदार (संविदाकार) को माननी होगी।

भूगतान संबंधी कार्यवाही लेखा नियम–2018 के अनुरूप की जावेगी।

निविदा अनुसार सभी गतिविधियों को आयोजित किये जाने हेतु निविदाकार के पास पर्याप्त कार्यबल र्य रूप से होना चाहिए।

प्रदान किये जा रहे आर.सी.सी. ह्युम पाईप की लम्बाई 08 फीट होनी चाहिए।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट

मांक/ स्वा./ई–निविदा/2026 1895
बालाघाट दिनांक 12/5/2026

लिपि –

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल म.प्र.।
2. कलेक्टर महोदय, जिला बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर।

4. कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग जबलपुर म.प्र.।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला बालाघाट म.प्र.।
7. अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ।
8. कार्यालय नगर पालिका परिषद बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशन/चस्पा किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... की ओर संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन पश्चात समाचार पत्र की 04 प्रतियों के साथ बिल 03 प्रति में जनसंपर्क कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर पर इस कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशन आदेश की प्रति संलग्न कर बिल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बालाघाट
जिला- बालाघाट

Signature Not Verified
Digitally signed by BHAGWAN DAS KATROLIYA
Date: 2026.05.16 13:08:01 IST
Location: Madhya Pradesh-MP